

कार्यालय निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-4डी(1)/मृ०आ०/०४/२०२३/

लखनऊ: दिनांक: 25 /10/2023

आदेश

स्व० श्री दीपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर की मृत्यु दिनांक 05.12.2021 को सेवाकाल में हो जाने के फलस्वरूप उनके आश्रित पुत्र श्री अभिनव मणि त्रिपाठी की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में मृतक आश्रितों की भर्ती सेवा-नियमावली 1974, यथा संशोधित अधिनियम/उ०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग-4 के पत्रावली सं०-5-4099/901/2022-4-1/368647/2023, दिनांक 14.08.2023 के अनुसार कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-6/12/73-का-2-2022/टी०सी०-VI (II), दिनांक 27.12.2022, द्वारा प्राख्यापित "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती (तेहरवां संशोधन)" नियमावली 2022 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत नियंत्रक अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर की संस्तुति एवं उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर उ०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग-3 के पत्रांक संख्या-635(1)/71-3-2021, दिनांक- 03.05.2021 एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर के पत्र संख्या- सि०न०/जि०चि०/मृतक आश्रित/2023-24/2467-68, दिनांक- 18.10.2023 को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थनगर के अधीन कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतन बैंड रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू०-2000/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-3) में समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों सहित अस्थायी रूप में अधोलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक वैध होगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त पद पर इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे।
3. यह नियुक्ति योगदान की तिथि से मान्य होगी तथा इस पद पर योगदान हेतु इन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. योगदान करते समय मूल अभिलेखों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिद्धार्थनगर के समक्ष निम्नलिखित अभिलेख को प्रस्तुत करना होगा :-
 - (क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट व अन्य शैक्षिक योग्यता के उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
 - (ख) अन्तिम शिक्षा जहां से प्राप्त की हो वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
 - (ग) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो आपको भली-भांति जानते हों किन्तु सम्बन्धी न हों।
 - (घ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 - (ङ) संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा का प्रमाण पत्र।
 - (च) अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, यदि विवाहित हो तो एक जीवित पत्नी का घोषणा पत्र।
5. यह नियुक्ति उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती (तेहरवां संशोधन) नियमावली-2022, कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-6/12/73-का-2-2022/टी०सी०-VI (II), दिनांक 27.12.2022 में निहित शर्तों के अधीन कम्प्यूटर प्रचालन और प्रवीणता अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्ति कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी०आ०ई०ए०सी०टी० सोसासटी द्वारा प्रदत्त सी०सी०टी० प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ-साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेत्तर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गई अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
6. यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि श्री अभिनव मणि त्रिपाठी पुत्र स्व० श्री दीपेन्द्र कुमार त्रिपाठी परिवार के अन्य आश्रितों का भरण-पोषण एवं समुचित देखभाल करते रहेंगे। ऐसा न करने की दशा में इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(2)

7. मृतक कर्मचारी, पति-पत्नी दोनों केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके अधीन निगम सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं, कार्यरत की दशा में यह सेवायोजन निष्प्रभावी माना जायेगा।
8. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक के परिवार के किसी अन्य सदस्य को मृतक आश्रित का लाभ पूर्व में इस विभाग व अन्य विभाग में तो नहीं दिया गया है।
9. मृत्यु/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन कर लिया जायें कि वे सक्षम अधिकारी द्वारा ही निर्गत किये गये हैं।
10. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.12.2022, में निहित व्यवस्थानुसार एक वर्ष के भीतर श्री अभिनव मणि त्रिपाठी की हिन्दी कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा का आयोजन कार्यदिवस में दिनांक 17. सितम्बर, 2024 को महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष अनुदेशक की देख-रेख में सम्पन्न किया जाना है। उक्त परीक्षा जनपद स्तर पर कदापि आयोजित नहीं की जायेगी, परीक्षा हेतु आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
11. यह नियुक्ति पत्र जनपद/मण्डल स्तर के सक्षम अधिकारी के प्रमाणित एवं अग्रसारित अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि भविष्य में श्री अभिनव मणि त्रिपाठी द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख संदिग्ध/फर्जी पाये जाते हैं तो उनकी सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी, इसकी जिम्मेदारी अग्रसारण अधिकारी की होगी तथा असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार इनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(डा0 राजागणपति आर0)

आई0ए0एस0

निदेशक (प्रशासन)

तददिनांक।

संख्या-4डी(1)/म0आ0/04/2023/ 5742-53

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग-4
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
4. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती मण्डल, बस्ती।
6. संयुक्त निदेशक, (मुख्यालय परिधिगत), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि में नियमानुसार परीक्षा का आयोजन अवश्यमें कराना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर को निर्देशित किया जाता है कि स्व0 श्री दीपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, कनिष्ठ सहायक के समस्त सेवाभिलेखों की पत्रावली मूलरूप में एवं श्री अभिनव मणि त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत समस्त सेवाभिलेखों को राजपत्रित अधिकारी के साथ संबंधित पटल सहायक के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिद्धार्थनगर को व्यक्तिगत रूप से मिलान कराते हुए हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिद्धार्थनगर को निर्देशित किया जाता है कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर द्वारा प्राप्त कराये गये समस्त अभिलेखों का मिलान करते हुए, श्री अभिनव मणि त्रिपाठी के स्वास्थ्य परीक्षणोपरान्त प्राप्त अभिलेखों/शैक्षिक प्रमाण पत्रों का भली-भांति सत्यापन सम्बंधित से कराकर संतुष्ट होने के उपरान्त ही उन्हें योगदान कराया जाना सुनिश्चित करें तथा वेतन आहरण पुष्टि के उपरान्त निर्गत करें। महानिदेशालय को उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों की छायाप्रतियां संलग्नकर आपको प्रेषित की जा रही है।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी सिद्धार्थनगर।
10. श्री अभिनव मणि त्रिपाठी पुत्र श्री स्व0 दीपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, निवासी- ग्राम व पोस्ट सैनुआ, जनपद सिद्धार्थनगर को इस आशय से प्रेषित कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिद्धार्थनगर से संपर्क स्थापित कर, अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त प्रथम योगदान देना सुनिश्चित करें।
11. पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमिश्नर, सिद्धार्थनगर को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

(डा0 रजना खरे)

अपर निदेशक(मुख्यालय परिधिगत)